रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 999] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2006/भाद्र 16, 1928
No. 999] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2006/BHADRA 16, 1928

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1447(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में -

(i) विनियम 2 में -

क. खण्ड (क) और (कक) को क्रमशः खण्ड (कघ) और (कङ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्डों के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;

(कक) "प्रमाणपत्र" से बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(कख) "प्रास्थिति या गठन का परिवर्तन", स्टॉक दलाल या उप-दलाल के संबंध में, से इसकी प्रास्थिति या गठन में कोई परिवर्तन, चाहे किसी भी स्वरूप का हो, अभिप्रेत है और जिसमें सम्मिलित है -

(i) निगमित निकाय के मामले में -

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 के विस्तार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंध के भीतर आने वाला समामेलन, अविलयन (डीमर्जर), समेकन या कंपनी पुनर्संरचना का कोई अन्य प्रकार ;

(ख) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 8 के उप-नियम (4क) के खण्ड (v) के अनुपालन में नियुक्त इसके प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या निदेशक में परिवर्तन ; और

(ग) निगमित निकाय पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन ;

(ii) निम्नलिखित विधिक स्वरूपों के बीच कोई परिवर्तन - व्यक्तिगत, भागीदारी फर्म, हिंदू अविभक्त कुटुंब, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अपरिसीमित कंपनी या कानूनी निगम और अन्य ऐसे ही परिवर्तन ;

(iii) भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारों में कोई परिवर्तन, जो फर्म के विघटन की कोटि में नहीं आता ;

(कग) "नियंत्रण में परिवर्तन", स्टॉक दलाल या उप-दलाल के संबंध में निगमित निकाय होते हुए, से अभिप्रेत है :-

(i) यदि इसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 12 के अर्थ के भीतर नियंत्रण में परिवर्तन ;

(ii) किसी अन्य मामले में, निगमित निकाय में नियंत्रक हित में परिवर्तन ;

स्पष्टीकरण : उप-खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए, पद "नियंत्रक हित" से हित अभिप्रेत है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निगमित निकाय में मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत के विस्तार तक ; "

ख. खण्ड (ङ) का लोप हो जाएगा ;

ग. खण्ड (छक) को खण्ड (छघ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(छक) "स्टॉक एक्सचेंज" से वह स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जो तत्समय केंद्रीय सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के अधीन ;

(छख) "स्टॉक दलाल" से स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य अभिप्रेत है ;

(छग) "उप-दलाल" से कोई व्यक्ति, स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य न होते हुए, अभिप्रेत है जो स्टॉक दलाल की ओर से एजेंट के रूप में या अन्यथा ऐसे स्टॉक दलालों के माध्यम से प्रतिभूतियों में क्रय करने, विक्रय करने या व्यौहार करने में विनिधानकर्ताओं की सहायता करने के लिए कार्य करता है ; "

घ. खण्ड (ज्ञ) में, शब्दों "और नियमों" का लोप हो जाएगा ;

(ii) विनियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

6क. (1) विनियम 6 के अधीन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् -

(क) स्टॉक दलाल किसी स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता धारण करता है ;

(ख) वह नियमों, विनियमों और स्टॉक एक्सचेंज की उप-विधियों जो उसके प्रति लागू हैं का पालन करेगा ;

(ग) जहाँ स्टॉक दलाल अपनी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, वह परिवर्तन के पश्चात् ऐसी हैसियत से कार्य करना जारी रखने के लिए बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ;

(घ) वह इन विनियमों में उपबंधित रीति से बोर्ड द्वारा प्रभारित फीस अदा करेगा ; और

(ङ) वह विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत की प्राप्ति की तारीख के एक मास के भीतर कदम उठायेगा और बोर्ड को ऐसे विनिधानकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप और अन्य विशिष्टियों के बारे में सूचित रखेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उस मामले में अधिनियम की धारा 12 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की बाध्यता को प्रभावित नहीं करेगी जहाँ यह लागू है । "

(iii) विनियम 11 को विनियम 11क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित विनियम के पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"उप-दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण

11. (1) कोई उप-दलाल ऐसी हैसियत से कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र धारण नहीं कर लेता ।

(2) कोई नया प्रमाणपत्र उप-विनियम (1) के अधीन अभिप्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है जहां उप-दलाल केवल एक स्टॉक दलाल से एक अन्य स्टॉक दलाल, उसी स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य होते हुए, से अपनी सहबद्धता में परिवर्तन करता है । "

(iv) विनियम 12 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा अंकों "नियम 5 में अधिकथित" के लिए, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "विनियम 12क के उप-विनियम (1) में अधिकथित" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(v) विनियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

12क. (1) विनियम 12 के अधीन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् -

(क) वह नियमों, विनियमों और स्टॉक एक्सचेंज की उप-विधियों जो उसके प्रति लागू हैं का पालन करेगा ;

(ख) जहाँ उप-दलाल अपनी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, वह परिवर्तन के पश्चात् ऐसी हैसियत से कार्य करना जारी रखने के लिए बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ;

(ग) वह इन विनियमों में उपबंधित रीति से बोर्ड द्वारा प्रभारित फीस अदा करेगा ;

(घ) वह विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत की प्राप्ति की तारीख के एक मास के भीतर पर्याप्त कदम उठायेगा और बोर्ड को ऐसे विनिधानकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप और अन्य विशिष्टियों के बारे में सूचित रखेगा ; और

(ङ) वह स्टॉक दलाल स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य होते हुए द्वारा प्रतिभूतियों में क्रय करने, विक्रय करने या व्यौहार करने में स्वयं को सहबद्ध करने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत है ।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों में अधिनियम की धारा 12 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की बाध्यता को प्रभावित नहीं करेगी जहाँ यह लागू है । "

(vi) विनियम 13 में, शब्दों तथा अंकों "विनियम 11" के लिए जहां कहीं वे आते हों, शब्द तथा अंक "विनियम 11क" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/0709/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, मूल विनियम, जी.एस.आर. सं. 780 (ई), 23 अक्तूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

2. मूल विनियम तत्पश्चात् :

(क) भाप्रविबो (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995 का.आ. सं.939(अ) द्वारा 28 नवम्बर, 1995

(ख) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1998 का.आ. सं. 13(अ) द्वारा 5 जनवरी, 1998

(ग) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998 का.आ. सं.75(अ) द्वारा 21 जनवरी, 1998

(घ) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998 का.आ. सं.1078(अ) द्वारा 16 दिसम्बर, 1998

(ङ) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1999 का.आ. सं.541(अ) द्वारा 6 जुलाई, 1999

(च) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2000 का.आ. सं.234(अ) द्वारा 14 मार्च, 2000

(छ) भाप्रविबो (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 का.आ. सं. 278 (अ) द्वारा 28 मार्च, 2000

(ज) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000 का.आ. सं.787 (अ) द्वारा 30 अगस्त, 2000

(झ) भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001 का.आं. सं.476(अ) द्वारा 29 मई, 2001

(ञ) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2001 का.आ. सं.1128(अ) द्वारा 15 नवम्बर, 2001

(ट) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2002 का.आ. सं.220(अ) द्वारा 20 फरवरी, 2002

(ठ) भाप्रविबो (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 का.आ. सं.1045(अ) द्वारा 27 सितम्बर, 2002

(ड) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2003 का.आ. सं.1095(अ) द्वारा 23 सितम्बर, 2003

(ढ) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 फा.सं. भाप्रविबो / विधि / 20795 / 2003 द्वारा 20 नवम्बर, 2003

(ण) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004 का.आ. सं. 398(अ) द्वारा 10 मार्च, 2004

(त) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2006 का.आ. 1235(अ) द्वारा 1 अगस्त 2006

को संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2006

Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) (Second Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1447(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) (Second Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992 -

(i) in regulation 2 –

a. clauses (a) and (aa) shall respectively be renumbered as clauses (ad)

and (ae) and before the clauses so renumbered, the following clauses shall be inserted, namely:-

"(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(aa) "certificate" means a certificate of registration issued by the Board;

(ab) "change of status or constitution" in relation to a stock broker or a sub-broker means any change in its status or constitution of whatsoever nature and includes –

(i) in case of a body corporate –

(A) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the scope of section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the corresponding provision of any other law for the time being in force;

(B) change in its managing director, whole-time director or director appointed in compliance with clause (v) of sub-rule (4A) of rule 8 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957; and

(C) any change in control over the body corporate;

(ii) any change between the following legal forms – individual, partnership firm, Hindu undivided family, private company, public company, unlimited company or statutory corporation and other similar changes;

(iii) in case of a partnership firm any change in partners not amounting to dissolution of the firm;

(ac) "change in control", in relation to a stock broker or a sub-broker being a body corporate, means:-

(i) if its shares are listed on any recognised stock exchange, change in control within the meaning of regulation 12 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997;

(ii) in any other case, change in the controlling interest in the body corporate;

Explanation: For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of at least fifty one percent. of voting rights in the body corporate;"

b. clause (e) shall be omitted;

c. clause (ga) shall be renumbered as clause (gd) and before the clause so renumbered, the following clauses shall be inserted, namely:-

"(ga) "stock exchange" means a stock exchange which is for the time being recognised by the Central Government or by the Board under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(gb) "stock broker" means a member of a stock exchange;

(gc) "sub-broker" means any person not being a member of stock exchange who acts on behalf of a stock broker as an agent or otherwise for assisting the investors in buying, selling or dealing in securities thorough such stock brokers;"

d. in clause (h), the words "and the rules" occurring in the end shall be omitted;

(ii) after regulation 6, the following regulation shall be inserted, namely:

"**Conditions of registration**

6A. (1) Any registration granted by the Board under regulation 6 shall be subject to the following conditions, namely –

(a) the stock broker holds the membership of any stock exchange;

(b) he shall abide by the rules, regulations and bye-laws of the stock exchange which are applicable to him;

(c) where the stock broker proposes to change his status or constitution, he shall obtain prior approval of the Board for continuing to act as such after the change;

(d) he shall pay fees charged by the Board in the manner provided in these regulations; and

(e) he shall take adequate steps for redressal of grievances of the investors within one month of the date of receipt of the complaint

and keep the Board informed about the number, nature and other particulars of the complaints received from such investors.

(2) Nothing contained in clause (c) of sub-regulation (1) shall affect the obligation to obtain a fresh registration under section 12 of the Act in a case where it is applicable."

(iii) regulation 11 shall be renumbered as regulation 11A and before the regulation so renumbered, the following regulation shall be inserted, namely:-

"**Registration as sub-broker**

11. (1) No sub-broker shall act as such unless he holds a certificate granted by the Board under these regulations.

(2) No fresh certificate needs to be obtained under sub-regulation (1) where a sub-broker merely changes his affiliation from one stock broker to another stock broker, being a member of the same stock exchange."

(iv) in regulation 12, in sub-regulation (2), for the words and figure "as stated in rule 5" occurring at the end, the words, brackets and figures "laid down in sub-regulation (1) of regulation 12A" shall be substituted;

(v) after regulation 12, the following regulation shall be inserted, namely:

"**Conditions of registration**

12A. (1) Any registration granted by the Board under regulation 12 shall be subject to the following conditions, namely –

(a) he shall abide by the rules, regulations and bye-laws of the stock exchange which are applicable to him;

(b) where the sub-broker proposes to change his status or constitution, he shall obtain prior approval of the Board for continuing to act as such after the change;

(c) he shall pay fees charged by the Board in the manner provided in these regulations;

(d) he shall take adequate steps for redressal of grievances of the investors within one month of the date of receipt of the complaint

and keep the Board informed about the number, nature and other particulars of the complaints received from such investors; and

(e) he is authorized in writing by a stock-broker being a member of a stock exchange for affiliating himself in buying, selling or dealing in securities.

(2) Nothing contained in clause (b) of sub-regulation (1) shall affect the obligation to obtain a fresh registration under section 12 of the Act in cases where it is applicable."

(vi) in regulation 13, for the words and figures "regulation 11" wherever they occur, the words and figures "regulation 11A" shall be substituted.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/0709/2006]
M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes :

1. Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers And Sub-Brokers) Regulations, 1992, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide GSR No. 780 (E).
2. The Principal Regulations subsequently amended on :
   (a) November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No. 939 (E).
   (b) January 5, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 13 (E).
   (c) January 21, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 75 (E).
   (d) December 16, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 1078 (E).
   (e) July 6, 1999 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 541 (E).
   (f) March 14, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 234 (E).
   (g) March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278 (E).
   (h) August 30, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 787 (E).

(i) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).

(j) November 15, 2001 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 1128 (E).

(k) February 20, 2002 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No. 220 (E).

(l) September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045 (E).

(m)September 23, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. 1095 (E).

(n) November 20, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI /LAD /20795 /2003.

(o) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

(p) on August 1, 2006 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. 1235 (E).

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1448(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 में :-

(i) विनियम 2 में ,

क. आरंभिक भाग के पश्चात् और खण्ड (ख) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगें, अर्थात् :-

"(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;

(कक) "निगम निकाय" (निगमित निकाय) का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (7) में या के अधीन इसके लिए यथा नियत होगा ;

(कख) "प्रमाणपत्र" से बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(कग) "प्रास्थिति या गठन का परिवर्तन", मर्चेंट बैंककार के संबंध में -

(i) से इसकी प्रास्थिति या गठन में कोई परिवर्तन, चाहे किसी भी स्वरूप का हो, अभिप्रेत है ; और

(ii) उप-खण्ड (i) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें सम्मिलित है -

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 के विस्तार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंध के भीतर आने वाला समामेलन, अविलयन (डीमर्जर), समेकन या कंपनी पुनर्संरचना का कोई अन्य प्रकार ;

(ख) इसके प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक में परिवर्तन ; और

(ग) निगमित निकाय पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन ;

(कघ) "नियंत्रण में परिवर्तन", मर्चेंट बैंककार के संबंध में निगमित निकाय होते हुए, से अभिप्रेत है :-

(i) यदि इसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 12 के अर्थ के भीतर नियंत्रण में परिवर्तन ;

(ii) किसी अन्य मामले में, निगमित निकाय में नियंत्रक हित में परिवर्तन ;

स्पष्टीकरण : उप-खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए, पद "नियंत्रक हित" से हित अभिप्रेत है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निगमित निकाय में मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत के विस्तार तक ; "

ख. खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(गक) "निर्गम" से किसी निगमित निकाय द्वारा, अथवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा इसकी या उसकी या उनकी ओर से, यथास्थिति, जनता, अथवा, ऐसे निगमित निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की प्रतिभूतियों के धारकों को या से मर्चेंट बैंककार के माध्यम से प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय का प्रस्ताव अभिप्रेत है ;

(गख) "मर्चेंट बैंककार" से कोई वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्गम प्रबंध के कारबार में लगा हुआ है या तो प्रतिभूतियों के प्रति विक्रय करने, क्रय करने अथवा अभिदाय करने के संबंध में इंतजाम करते हुए या प्रबंधक, परामर्शी, सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए या ऐसे निर्गम प्रबंध के संबंध में निगम सलाहकार सेवा देते हुए ।"

ग. खण्ड (ङ) का लोप हो जाएगा ;

घ. खण्ड (च) में, शब्दों "और नियमों", शब्द "यथास्थिति," और शब्दों "या नियमों" का लोप हो जाएगा ;

(ii) विनियम 3 में -

क. उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी ।"

ख. उप-विनियम (2क) में, खण्ड (ii) का लोप हो जाएगा ;

(iii) विनियम 7 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा

7. विनियम 6 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा पाँच करोड़ रुपये से कम की शुद्ध मालियत (नेटवर्थ) नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "शुद्ध-मालियत" से विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन करने के समय आवेदक की संमादत्त पूंजी और खुली आरक्षितियों की राशि अभिप्रेत है ।"

(iv) विनियम 9 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए नवीकरण के लिए आवेदन से अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी ।"

(v) विनियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

9क. (1) विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण या विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया कोई नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :-

(क) जहाँ मर्चेंट बैंककार इसकी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, यह परिवर्तन के पश्चात् ऐसी हैसियत से कार्य करना जारी रखने के लिए बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ;

(ख) यह रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण, यथास्थिति, के लिए फीस इन विनियमों में उपबंधित रीति से अदा करेगा ;

(ग) यह विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत की प्राप्ति की तारीख के एक मास के भीतर पर्याप्त कदम उठायेगा और प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप तथा अन्य विशिष्टियों के बारे में बोर्ड को सूचित रखेगा ;

(घ) यह उसके प्रमाणपत्र या नवीकरण की कालावधि के दौरान सभी समयों पर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को बनाए रखेगा;

(ङ) यह मर्चेंट बैंककार के रूप में इसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों की बाबत अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों का पालन करेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (क) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों में अधिनियम की धारा 12 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की बाध्यता को प्रभावित नहीं करेगी जहाँ यह लागू है ।

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि

9ख. विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया इसका नवीकरण, आवेदक को इसके जारी करने की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा ।"

(vi) अनुसूची II में -

क. पैरा 1 में, शब्दों "पाँच लाख रुपये" के लिए, शब्द "दस लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

ख. पैरा 2 में, शब्दों तथा अंकों "रु.2.5 लाख" के लिए, शब्द "पाँच लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

ग. पैरा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3क. विनियम 3 के उप-विनियम (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या विनियम 9 के उप-विनियम (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संदेय अप्रतिदेय फीस पच्चीस हजार रुपये की राशि होगी ।"

घ. पैरा 4 में, शब्दों तथा अंकों "पैरा 1 और 2" के लिए शब्द तथा अंक "पैरा 1, 2 और 3क" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/0709/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992, फा.सं. 20/15/एसई/92, 22 दिसम्बर 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 तत्पश्चात् :

(क) 7 सितम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 396(अ), द्वारा ;

(ख) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा ;

(ग) 6 जून, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1996, फा.सं. भाप्रविबो/एलई-I/9/95, द्वारा ;

(घ) 9 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 837 (अ), द्वारा ;

(ङ) 21 जनवरी, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 74 (अ), द्वारा ;

(च) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 799 (अ), द्वारा ;

(छ) 17 नवम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 1119 (अ), द्वारा ;

(ज) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा ;

(झ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा ;

(ञ) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा ;

(ट) 1 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1154(अ), द्वारा ;

(ठ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा ;

(ड) 19 अप्रैल, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 560(अ), द्वारा ;

(ढ) 3 मई, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 640(अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2006

Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Third Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1448(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Third Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992:-

(i) in regulation 2 –

a. after the opening part and before clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(aa) "body corporate" shall have the meaning assigned to it in or under clause (7) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(ab) "certificate" means a certificate of registration issued by the Board;

(ac) "change of status or constitution" in relation to a merchant banker -

(i) means any change in its status or constitution of whatsoever nature; and

(ii) without prejudice to generality of sub-clause (i), includes –

(A) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the scope of section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the corresponding provision of any other law for the time being in force;

(B) change in its managing director or whole-time director; and

(C) any change in control over the body corporate;

(ad) "change in control", in relation to a merchant banker being a body corporate, means:-

(i) if its shares are listed on any recognised stock exchange, change in control within the meaning of regulation 12 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997;

(ii) in any other case, change in the controlling interest in the body corporate;

Explanation: For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of at least fifty one percent. of voting rights in the body corporate;"

b. after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(ca) "issue" means an offer of sale or purchase of securities by any body corporate, or by any other person or group of persons on its or his or their behalf, as the case may be, to or from the public, or the holders of securities of such body corporate or person or group of persons through a merchant banker;

(cb) "merchant banker" means any person who is engaged in the business of issue management either by making arrangements regarding selling, buying or subscribing to securities or acting as manager, consultant, adviser or rendering corporate advisory service in relation to such issue management."

c. clause (e) shall be omitted;

d. in clause (f), the words "and the rules" occurring after the words "defined in the Act" and the words "or the rules, as the case may be" occurring at the end shall be omitted;

(ii) in regulation 3 -

a. after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for registration made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II."

b. in sub-regulation (2A), clause (ii) shall be omitted;

(iii) regulation 7 shall be substituted with the following, namely:-

"**Capital adequacy requirement**

7. The capital adequacy requirement referred to in clause (d) of regulation 6 shall be a net worth of not less than five crores rupees.

Explanation: For the purposes of this regulation, "net worth" means the sum of paid up capital and free reserves of the applicant at the time of making application under sub-regulation (1) of regulation 3."

(iv) in regulation 9, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for renewal made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II."

(v) after regulation 9, the following regulations shall be inserted, namely:-

"Conditions of registration

9A. (1) Any registration granted under regulation 8 or any renewal granted under regulation 9 shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) where the merchant banker proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Board for continuing to act as such after the change;

(b) it shall pay the fees for registration or renewal, as the case may be, in the manner provided in these regulations;

(c) it shall take adequate steps for redressal of grievances of the investors within one month of the date of the receipt of the complaint and keep the Board informed about the number, nature and other particulars of the complaints received;

(d) it shall maintain capital adequacy requirements specified in regulation 7 at all times during the period of the certificate or renewal thereof;

(e) it shall abide by the regulations made under the Act in respect of the activities carried on by it as merchant banker.

(2) Nothing contained in clause (a) of sub-regulation (1) shall affect the obligation to obtain a fresh registration under section 12 of the Act in cases where it is applicable.

Period of validity of certificate

9B. The certificate of registration granted under regulation 8 and its renewal granted under regulation 9, shall be valid for a period of three years from the date of its issue to the applicant."

in Schedule II –

a. in paragraph 1, for the words "Rupees five lacs", the words "ten lakh rupees" shall be substituted;

b. in paragraph 2, for the words and figures "Rs. 2.5 lacs", the words "five lakh rupees" shall be substituted;

c. after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"3A. The non-refundable fee payable along with an application for registration under sub-regulation (1A) of regulation 3 or an application for renewal of registration under sub-regulation (1A) of regulation 9 shall be a sum of twenty five thousand rupees."

d. in paragraph 4, for the words and figures "paragraphs 1 and 2" the words and figures "paragraphs 1, 2 and 3A" shall be substituted.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/0709/2006]
M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes :

1. The principal regulations Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 were published in Official Gazette of India on 22nd December, 1992 vide F.No.20/15/SE/92.

2. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 was subsequently amended :

   (a) on 7th September, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 396 (E);

   (b) on November 28, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E);

   (c) on June 6, 1996 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1996 vide F.No. SEBI/LE-I/9/95;

   (d) on December 9, 1997 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 837 (E);

   (e) on January 21, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 74 (E).

(f) on September 30, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 799 (E).

(g) on November 17, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 1119 (E).

(h) on March 28, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E).

(i) on May 29, 2001 by Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E).

(j) on September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E).

(k) on October 1, 2003 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 1154 (E).

(l) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

(m) on April 19, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 560(E).

(n) on May 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide No. S.O. 640(E).

****

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1449(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 में -

(i) विनियम 2 में -

क. आरंभिक भाग के पश्चात् और खण्ड (ख) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;

(कक) "निगम निकाय" (निगमित निकाय) का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (7) में या के अधीन इसके लिए यथा नियत होगा ;

(कख) "प्रमाणपत्र" से बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(कग) "प्रास्थिति या गठन का परिवर्तन", हामीदार के संबंध में, से इसकी प्रास्थिति या गठन में कोई परिवर्तन, चाहे किसी भी स्वरूप का हो, अभिप्रेत है और जिसमें सम्मिलित है -

(i) निगमित निकाय के मामले में -

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 के विस्तार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंध के भीतर आने वाला समामेलन, अविलयन (डीमर्जर), समेकन या कंपनी पुनर्संरचना का कोई अन्य प्रकार ;

(ख) इसके प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक में परिवर्तन ; और

(ग) निगमित निकाय पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन ;

(ii) निम्नलिखित विधिक स्वरूपों के बीच कोई परिवर्तन व्यक्तिगत, भागीदारी फर्म, हिंदू अविभक्त कुटुंब, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अपरिसीमित कंपनी या कानूनी निगम और अन्य ऐसे ही परिवर्तन ;

(iii) भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारों में कोई परिवर्तन, जो फर्म के विघटन की कोटि में नहीं आता ;

(कघ) "नियंत्रण में परिवर्तन", हामीदार के संबंध में निगमित निकाय होते हुए, से अभिप्रेत है :-

(i) यदि इसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 12 के अर्थ के भीतर नियंत्रण में परिवर्तन ;

(ii) किसी अन्य मामले में, निगमित निकाय में नियंत्रक हित में परिवर्तन ;

स्पष्टीकरण : उप-खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए, पद "नियंत्रक हित" से हित अभिप्रेत है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निगमित निकाय में मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत के विस्तार तक ; "

ख. खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(गक) 'निर्गम' से किसी निगमित निकाय द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा इसकी या उसकी या उनकी ओर

से, यथास्थिति, जनता, अथवा, ऐसे निगमित निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की प्रतिभूतियों के धारकों को प्रतिभूतियों के विक्रय का प्रस्ताव अभिप्रेत है ; "

ग. खण्ड (च) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(च) 'हामीदार' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निगमित निकाय की प्रतिभूतियों के निर्गम की हामीदारी के कारबार में लगा होता है ;

(चक) 'हामीदारी' से निगमित निकाय की प्रतिभूतियों के प्रति अभिदाय करने के लिए, शर्तों सहित या बिना, करार अभिप्रेत है जब ऐसे निगमित निकाय के विद्यमान शेयरधारक या जनता उनको प्रस्तावित प्रतिभूतियों के प्रति अभिदाय नहीं करती है ; "

घ. खण्ड (छ) में, शब्दों "और नियमों", शब्द ", यथास्थिति," और शब्दों "या नियमों" का लोप हो जाएगा ;

(ii) विनियम 3 को विनियम 3क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित विनियम के पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"हामीदार के रूप में रजिस्ट्रीकरण

3. (1) कोई व्यक्ति हामीदार के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र धारण नहीं कर लेता ।

(2) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 12 के अधीन विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाला प्रत्येक स्टॉक दलाल या मर्चेंट बैंककार, इन विनियमों के अधीन पृथक् प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किये बिना हामीदार के रूप में कार्य करने का हकदार होगा ।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन हामीदार के रूप में कार्य करने वाला स्टॉक दलाल या मर्चेंट बैंककार सभी प्रकारों से इन विनियमों द्वारा शासित होगा । "

(iii) विनियम 3क में, इस प्रकार पुनःसंख्यांकित, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी ।"

(iv) विनियम 4 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों "विनियम 3" के लिए, शब्द "विनियम 3क" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(v) विनियम 5 में, शब्दों "विनियम 3 के उप-विनियम (2)" के लिए, शब्द "विनियम 3क के उप-विनियम (2)" प्रतिस्थपित किए जाएंगे ;

(vi) विनियम 9 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए नवीकरण के लिए आवेदन से अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी।"

(vii) विनियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

9क. (1) विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण या विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया कोई नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :-

(क) जहाँ हामीदार इसकी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, यह परिवर्तन के पश्चात् ऐसी हैसियत से कार्य करना जारी रखने के लिए बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ;

(ख) यह निगमित निकाय के साथ विधिमान्य करार करेगा जिसकी ओर से यह हामीदार के रूप में कार्य कर रहा है ;

(ग) यह रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण, यथास्थिति, के लिए फीस इन विनियमों में उपबंधित रीति से अदा करेगा ;

(घ) यह उसके प्रमाणपत्र या नवीकरण की कालावधि के दौरान सभी समयों पर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को बनाए रखेगा ;

(ङ) यह हामीदार के रूप में इसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों की बाबत अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों का पालन करेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (क) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों में अधिनियम की धारा 12 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की बाध्यता को प्रभावित नहीं करेगी जहाँ यह लागू है ।

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि

9ख. विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण **प्रमाणपत्र और** विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया इसका नवीकरण, **आवेदक को इसके** जारी करने की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए **विधिमान्य होगा ।"**

(viii) विनियम 14 में,

क. आरंभिक पैरा में, शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों "नियम 4 के खंड (ख)" के लिए, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "विनियम 9क के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

ख. खण्ड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् ; "

(ik) हामीदार और ग्राहक के बीच कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों का आबंटन ; "

(ix) विनियम 15 में, उप-विनियम (iii) में, शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों "नियम 4 के खंड (ख)" के लिए, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "विनियम 9क के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(x) विनियम 16 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों "नियम 4 के खंड (ख)" के लिए जहाँ कहीं वे आते हों, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "विनियम 9क के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(xi) अनुसूची II में -

क. पैरा 1 में, शब्दों "पाँच लाख रुपये" के लिए, शब्द "दस लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

ख. पैरा 2 में, शब्दों तथा अंकों "रु.2 लाख" के लिए, शब्द "पाँच लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

ग. पैरा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3क. विनियम 3क के उप-विनियम (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या विनियम 9 के उप-विनियम (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संदेय अप्रतिदेय फीस पच्चीस हजार रुपये की राशि होगी ।"

घ. पैरा 4 में, शब्दों तथा अंकों "पैरा 1 और 2" के लिए शब्द तथा अंक "पैरा 1, 2 और 3क" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/0709/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993, मूल विनियम, सं.एलई/10(ई), 8 अक्तूबर 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 तत्पश्चात् -

क. 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं.939(अ), द्वारा

ख. 17 जनवरी, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं.46(अ), द्वारा

ग. 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.21 (अ), द्वारा

घ. 30 सितंबर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं.797(अ), द्वारा

ङ. 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं.278(अ), द्वारा

च. 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं.476(अ), द्वारा

छ. 27 सितंबर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने तथा शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.1045(अ), द्वारा

ज. 10 दिसम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं.1291(अ), द्वारा

झ. 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2006

Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1449(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993-

(i) in regulation 2 –

a. after the opening part and before clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(aa) "body corporate" shall have the meaning assigned to it in or under clause (7) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(ab) "certificate" means a certificate of registration issued by the Board;

(ac) "change of status or constitution" in relation to an underwriter means any change in its status or constitution of whatsoever nature and includes –

(i) in case of a body corporate –

(A) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the scope of section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the corresponding provision of any other law for the time being in force;

(B) change in its managing director or whole-time director; and

(C) any change in control over the body corporate;

(ii) any change between the following legal forms – individual, partnership firm, Hindu undivided family, private company, public company, unlimited company or statutory corporation and other similar changes;

(iii) in case of a partnership firm any change in partners not amounting to dissolution of the firm;

(ad) "change in control", in relation to an underwriter being a body corporate, means:-

(i) if its shares are listed on any recognised stock exchange, change in control within the meaning of regulation 12 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997;

(ii) in any other case, change in the controlling interest in the body corporate;

Explanation: For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to

the extent of at least fifty one percent. of voting rights in the body corporate;"

b. after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ca) 'issue' means an offer of sale of securities by any body corporate or by any other person or group of persons on its or his or their behalf, as the case may be, to the public, or, the holders of securities of such body corporate or person or group of persons;"

c. for clause (f), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(f) 'underwriter' means a person who engages in the business of underwriting of an issue of securities of a body corporate;

(fa) 'underwriting' means an agreement with or without conditions to subscribe to the securities of a body corporate when the existing shareholders of such body corporate or the public do not subscribe to the securities offered to them;"

d. in clause (g), the words "and the rules" occurring after the words "defined in the Act" and the words "or the rules. as the case may be" occurring at the end shall be omitted;

regulation 3 shall be renumbered as regulation 3A and before the regulation so renumbered, the following regulation shall be inserted, namely:-

"Registration as underwriter

3. (1) No person shall act as underwriter unless he holds a certificate granted by the Board under these regulations.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), every stock broker or merchant banker holding a valid certificate of registration under section 12 of the Act, shall be entitled to act as an underwriter without obtaining a separate certificate under these regulations.

(3) A stock broker or merchant banker acting as an underwriter under sub-regulation (2) shall be governed by these regulations in other respects."

(iii) in regulation 3A, so renumbered, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for registration made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II."

(iv) in regulation 4, in sub-regulation (2), for the words "regulation 3" occurring at the end, the words "regulation 3A" shall be substituted;

(v) in regulation 5, for the words "sub-regulation (2) of regulation 3", the words "sub-regulation (2) of regulation 3A" shall be substituted;

(vi) in regulation 9, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for renewal made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II."

(vii) after regulation 9, the following regulations shall be inserted, namely:-

"**Conditions of registration**

9A. (1) Any registration granted under regulation 8 or any renewal granted under regulation 9 shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) where the underwriter proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Board for continuing to act as such after the change;

(b) it shall enter into a valid agreement with the body corporate on whose behalf it is acting as underwriter;

(c) it shall pay the fees for registration or renewal, as the case may be, in the manner provided in these regulations;

(d) it shall maintain capital adequacy requirements specified in regulation 7 at all times during the period of the certificate or renewal thereof;

(e) it shall abide by the regulations made under the Act in respect of the activities carried on by it as underwriter.

(2) Nothing contained in clause (a) of sub-regulation (1) shall affect the obligation to obtain a fresh registration under section 12 of the Act in cases where it is applicable.

Period of validity of certificate

9B. The certificate of registration granted under regulation 8 and its renewal granted under regulation 9, shall be valid for a period of three years from the date of its issue to the applicant."

(viii) in regulation 14,

a. in the opening paragraph, for the words, brackets and figures "clause (b) of rule 4", the words, brackets and figures "clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 9A" shall be substituted;

b. after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ia) the allocation of duties and responsibilities between the underwriter and the client;"

(ix) in regulation 15, in sub-regulation (3), for the words, brackets and figures "clause (b) of rule 4", the words, brackets and figures "clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 9A" shall be substituted;

(x) in regulation 16, in sub-regulation (3), for the words, brackets and figures "clause (b) of rule 4" wherever they occur, the words, brackets and figures "clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 9A" shall be substituted;

(xi) in Schedule II –

a. in paragraph 1, for the words "Rupees five lacs", the words "ten lakh rupees" shall be substituted;

b. in paragraph 2, for the words and figures "Rs. 2 lacs", the words "five lakh rupees" shall be substituted;

c. after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"3A. The non-refundable fee payable along with an application for registration under sub-regulation (1A) of regulation 3A or an application for renewal of registration under sub-regulation (1A) of regulation 9 shall be a sum of twenty five thousand rupees."

d. in paragraph 4, for the words and figures "paragraphs 1 and 2" the words and figures "paragraphs 1, 2 and 3A" shall be substituted.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/0709/2006]
M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on October 8, 1993 vide No. LE/10(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993 was subsequently amended –
   a. on November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No.939(E).
   b. on January 17, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.46(E).
   c. on January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.21(E).
   d. on September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.797(E).
   e. on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278(E).
   f. on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476(E).
   g. on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045(E).
   h. on December 10, 2002 by the Securities and Exchange Board o India (Underwriters) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.1291(E).

i. on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संविभाग प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1450(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संविभाग प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक) विनियम, 1993 में :

(i) विनियम 2 में -

(क) खण्ड (क) को (कङ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;

(कक) "निगम निकाय" (निगमित निकाय) का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (7) में या के अधीन इसके लिए यथा नियत होगा ;

(कख) "प्रमाणपत्र" से बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(कग) "प्रास्थिति या गठन का परिवर्तन", संविभाग प्रबंधक के संबंध में -

(i) से इसकी प्रास्थिति या गठन में कोई परिवर्तन, चाहे किसी भी स्वरूप का हो, अभिप्रेत है ; और

(ii) उप-खण्ड (i) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें सम्मिलित है -

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 के विस्तार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंध के भीतर आने वाला समामेलन, अविलयन (डीमर्जर), समेकन या कंपनी पुनर्संरचना का कोई अन्य प्रकार ;

(ख) इसके प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक में परिवर्तन ; और

(ग) निगमित निकाय पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन ;

(कघ) "नियंत्रण में परिवर्तन", संविभाग प्रबंधक के संबंध में निगमित निकाय होते हुए, से अभिप्रेत है :-

(i) यदि इसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 12 के अर्थ के भीतर नियंत्रण में परिवर्तन ;

(ii) किसी अन्य मामले में, निगमित निकाय में नियंत्रक हित में परिवर्तन ;

स्पष्टीकरण : उप-खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए, पद "नियंत्रक हित" से हित अभिप्रेत है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निगमित निकाय में मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत के विस्तार तक ; "

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (कङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(कच) "वैवेकिक संविभाग प्रबंधक" से वह संविभाग प्रबंधक अभिप्रेत है जो, संविभाग प्रबंध संबंधी संविदा के अधीन, विनिधानों या प्रतिभूतियों के संविभाग के प्रबंध या ग्राहक की निधियों, यथास्थिति, के विषय में स्वविवेक की किसी मात्रा का प्रयोग करता है या कर सकेगा ; "

(ग) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

"(गक) "संविभाग" से किसी व्यक्ति से संबंधित प्रतिभूतियों की कुल धारिताएँ अभिप्रेत हैं ;

(गख) "संविभाग प्रबंधक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ग्राहक के साथ संविदा या इंतजाम के अनुसरण में, सलाह देता है या निदेश देता है या प्रतिभूतियों के संविभाग या ग्राहक की निधियों, यथास्थिति, के प्रबंध या प्रशासन का भार ग्राहक की ओर से अपने ऊपर लेता है (चाहे वैवेविक संविभाग प्रबंधक के रूप में या अन्यथा); "

(घ) खण्ड (ङ) का लोप हो जाएगा ;

(ङ) खण्ड (च) में, शब्दों "और नियमों", शब्द "यथास्थिति," और शब्दों "या नियमों" का लोप हो जाएगा ;

(ii) विनियम 3 को विनियम 3क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित विनियम के पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"संविभाग प्रबंधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण

3. कोई व्यक्ति संविभाग प्रबंधक के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र धारण नहीं कर लेता ।

परंतु यह कि संविभाग प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाला मर्चेंट बैंककार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संविभाग प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 के आरंभ से ठीक पहले ऐसे आरंभ से छह मास की कालावधि के लिए ऐसा करना जारी रख सकेगा या, यदि उसने छह मास की उक्त कालावधि के भीतर इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया हो, ऐसे आवेदन का निपटारा होने तक ।"

(iii) विनियम 9 में :-

(क) उप-विनियम (1) में, शब्दों "प्ररूप क में आवेदन" के पश्चात् शब्द "अनुसूची II के खण्ड 1 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ" अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उप-विनियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) बोर्ड, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक विनियम 6 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, आवेदक को सूचना भेजेगा और अनुसूची II के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट नवीकरण फीस के भुगतान की प्राप्ति पर, प्रमाणपत्र का नवीकरण प्रदान करेगा ; "

(iv) विनियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

9क. (1) विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण या विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया कोई नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :-

(क) जहाँ संविभाग प्रबंधक इसकी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, यह परिवर्तन के पश्चात् ऐसी हैसियत से कार्य करना जारी रखने के लिए बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ;

(ख) यह रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण, यथास्थिति, के लिए फीस इन विनियमों में उपबंधित रीति से अदा करेगा ;

(ग) यह विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत की प्राप्ति की तारीख के एक मास के भीतर पर्याप्त कदम उठायेगा और प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप तथा अन्य विशिष्टियों के बारे में बोर्ड को सूचित रखेगा ;

(घ) यह उसके प्रमाणपत्र या नवीकरण की कालावधि के दौरान सभी समयों पर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को बनाए रखेगा;

(ङ) यह संविभाग प्रबंधक के रूप में इसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों की बाबत अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों का पालन करेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (क) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों में अधिनियम की धारा 12 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की बाध्यता को प्रभावित नहीं करेगी जहाँ यह लागू है ।

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि

9ख. विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया इसका नवीकरण, आवेदक को इसके जारी करने की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा ।"

(V) अनुसूची II में -

(क) पैरा 1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"1. प्रत्येक संविभाग प्रबंधक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने या के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ एक लाख रुपये की अप्रतिदेय फीस अदा करेगा । "

(ख) पैरा 1क में, अंकों तथा शब्दों "5 लाख रुपए की राशि" के लिए, शब्द "दस लाख रुपये की राशि" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) पैरा 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"2. प्रत्येक संविभाग प्रबंधक नवीकरण प्रदान किये जाने पर पाँच लाख रुपये की नवीकरण फीस अदा करेगा । "

(घ) पैरा 3 में, खण्ड (ख) में, शब्दों "विनियम 9 के उप-विनियम (1) के अधीन किए गए नवीकरण के लिये आवेदन के निपटान की" के लिए, शब्द "विनियम 9 के उप-विनियम (3) के अधीन" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/0709/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक) विनियम, 1993, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(ii) तारीख 7 जनवरी, 1993 में प्रकाशित का.आ. सं. सेबी/एलई/93/III तारीख 7 जनवरी, 1993 के अधीन जारी हुए थे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक) विनियम, 1993, तत्पश्चात् :-

क. 28 नवंबर, 1993 को राजपत्र, का.आ. सं. 939 (अ), में प्रकाशित भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 1993 द्वारा

ख. 28 नवंबर, 1995 को भाप्रविबो (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं. 939 (अ), द्वारा

ग. 5 जनवरी, 1998 को राजपत्र, का.आ. सं. 20 (अ), में प्रकाशित भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 1998 द्वारा

घ. 30 सितंबर, 1999 को राजपत्र, का.आ. सं. 793 (अ), में प्रकाशित भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 1999 द्वारा

ङ. 22 फरवरी, 2000 को राजपत्र, का.आ. सं. 146 (अ), में प्रकाशित भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2000 द्वारा

च. 28 मार्च, 2000 को राजपत्र, का.आ. सं. 278 (अ), में प्रकाशित भाप्रविबो (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 द्वारा

छ. 29 मई, 2001 को भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा

ज. 27 सितंबर, 2002 को भाप्रविबो (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा

झ. 11 अक्तूबर, 2002 को भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1087(अ), द्वारा

ञ. 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा

ट. 27 मई, 2004 को भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 654(अ), द्वारा

ठ. 5 जुलाई, 2006 को भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 997(अ), द्वारा

संशोधित हुए थे।

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2006

Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Second Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1450(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 1993, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Second Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 1993:

(i) in regulation 2 –

(a) clause (a) shall be renumbered as clause (ae) and before the clause so renumbered, the following clauses shall be inserted, namely:-

"(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(aa) "body corporate" shall have the meaning assigned to it in or under clause (7) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(ab) "certificate" means a certificate of registration issued by the Board;

(ac) "change of status or constitution" in relation to a portfolio manager-

(i) means any change in its status or constitution of whatsoever nature; and

(ii) without prejudice to generality of sub-clause (i), includes –

(A) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the scope of section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the corresponding provision of any other law for the time being in force;

(B) change in its managing director or whole-time director; and

(C) any change in control over the body corporate;

(ad) "change in control", in relation to a portfolio manager being a body corporate, means:-

(i) if its shares are listed on any recognised stock exchange, change in control within the meaning of regulation 12 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997;

(ii) in any other case, change in the controlling interest in the body corporate;

Explanation: For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of at least fifty one percent. of voting rights in the body corporate;"

(b) after clause (ae) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:

"(af) "discretionary portfolio manager" means a portfolio manager who exercises or may, under a contract relating to portfolio management, exercise any degree of discretion as to the investments or management of the portfolio of securities or the funds of the client, as the case may be;"

(c) after clause (c) the following clauses shall be inserted, namely:

"(ca) "portfolio" means the total holdings of securities belonging to any person;

(cb) "portfolio manager" means any person who pursuant to a contract or arrangement with a client, advises or directs or undertakes on behalf of the client (whether as a discretionary portfolio manager or otherwise) the management or administration of a portfolio of securities or the funds of the client, as the case may be;"

(d) clause (e) shall be omitted;

(e) in clause (f), the words "and the rules" occurring after the words "defined in the Act" and the words "or the rules, as the case may be" occurring at the end shall be omitted;

(ii) regulation 3 shall be renumbered as regulation 3A, and before the regulation so renumbered, the following regulation shall be inserted, namely:

"Registration as portfolio manager

3. No person shall act as portfolio manager unless he holds a certificate granted by the Board under these regulations.

Provided that a merchant banker acting as a portfolio manager immediately before commencement of the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Second Amendment) Regulations, 2006 may continue to do so for a period of six months from such commencement or, if he has made an application for registration under these regulations within the said period of six months, till the disposal of such application."

(iii) in regulation 9:-

(a) in sub-regulation (1), after the words "in Form A" and before the full stop, the words "along with fees specified in clause 1 of Schedule II" shall be inserted;

(b) sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely:-

"(3) The Board, on being satisfied that the applicant fulfills the requirements specified in regulation 6, shall send an intimation to the applicant and on receipt of payment of renewal fees as specified in paragraph 2 of Schedule II, grant a renewal of the certificate;"

(iv) after regulation 9, the following regulations shall be inserted, namely:-

"Conditions of registration

9A. (1) Any registration granted under regulation 8 or any renewal granted under regulation 9 shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) where the portfolio manager proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Board for continuing to act as such after the change;

(b) it shall pay the fees for registration or renewal, as the case may be, in the manner provided in these regulations;

(c) it shall take adequate steps for redressal of grievances of the investors within one month of the date of the receipt of the complaint and keep the Board informed about the number, nature and other particulars of the complaints received;

(d) it shall maintain capital adequacy requirements specified in regulation 7 at all times during the period of the certificate or renewal thereof;

(e) it shall abide by the regulations made under the Act in respect of the activities carried on by it as portfolio manager.

(2) Nothing contained in clause (a) of sub-regulation (1) shall affect the

obligation to obtain a fresh registration under section 12 of the Act in cases where it is applicable.

Period of validity of certificate

9B. The certificate of registration granted under regulation 8 and its renewal granted under regulation 9, shall be valid for a period of three years from the date of its issue to the applicant."

(v) in Schedule II –

(a) paragraph 1 shall be substituted with the following, namely:-

"1. Every portfolio manager shall pay a non-refundable fee of one lakh rupees along with the application for grant or renewal of certificate of registration."

(b) in paragraph 1A, for the figures, letters and words "a sum of Rs. 5 lakhs", the words "a sum of ten lakh rupees" shall be substituted;

(c) paragraph 2 shall be substituted with the following, namely:

"2. Every portfolio manager shall pay a renewal fee of five lakh rupees upon grant of renewal."

(d) in paragraph 3, in clause (b), for the words "disposing of the application for renewal made under sub-regulation (1) of regulation 9", the words "under sub-regulation (3) of regulation 9" shall be substituted.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/0709/2006]
M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes :

1. The principal regulations, SEBI (Portfolio Managers) Regulations, 1993 were issued under S.O. No. SEBI/LE/93/III dated January 7, 1993 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated January 7, 1993.
2. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 1993, were subsequently amended on: –
   a. November 28, 1993 by , SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 1993 published in the Official Gazette vide S.O. No. 939(E).
   b. November 28, 1995 by SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O No.939 (E).
   c. January 05, 1998 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 1998 published in the Official Gazette vide S.O. No. 20 (E).

d. September 30, 1999 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 1999 published in the Official Gazette vide S.O. No. 793 (E).

e. February 22, 2000 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2000 published in the Official Gazette vide S.O. No. 146 (E).

f. March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 published in the Official Gazette vide S.O no. 278(E).

g. May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O no. 476 (E).

h. September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045 (E).

i. October 11, 2002 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O no. 1087 (E).

j. March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

k. May 27, 2004 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O no. 654 (E).

l. July 5, 2006 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O no. 997 (E).

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1451(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में :-

(i) विनियम 2 में -

क. खण्ड (क) और (कक) को उसके क्रमशः खण्ड (कक) और (ख) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

ख. इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (कक) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;"

ग. इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(कख) "निगम निकाय" (निगमित निकाय) का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (7) में या के अधीन इसके लिए यथा नियत होगा ;

(कग) "प्रमाणपत्र" से इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया या नवीकृत किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(कघ) "प्रास्थिति या गठन का परिवर्तन", डिबेंचर न्यासी के संबंध में

(i) से इसकी प्रास्थिति या गठन में कोई परिवर्तन, चाहे किसी भी स्वरूप का हो, अभिप्रेत है ; और

(ii) उप-खण्ड (i) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें सम्मिलित है -

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 के विस्तार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंध के भीतर आने वाला समामेलन, अविलयन (डीमर्जर), समेकन या कंपनी पुनर्संरचना का कोई अन्य प्रकार ;

(ख) इसके प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक में परिवर्तन ; और

(ग) निगमित निकाय पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन ;

(कङ) "नियंत्रण में परिवर्तन", डिबेंचर न्यासी के संबंध में, से अभिप्रेत है :-

(i) यदि इसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 12 के अर्थ के भीतर नियंत्रण में परिवर्तन ;

(ii) किसी अन्य मामले में, निगमित निकाय में नियंत्रक हित में परिवर्तन ;

स्पष्टीकरण : उप-खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए, पद "नियंत्रक हित" से हित अभिप्रेत है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निगमित निकाय में मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत के विस्तार तक ; "

घ. इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(खक) "डिबेंचर" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के उप-खण्ड (12) के अर्थ के भीतर डिबेंचर अभिप्रेत है ;

(खख) "डिबेंचर न्यासी" से निगमित निकाय के डिबेंचरों के किसी निर्गम को सुनिश्चित करने के लिए न्यास विलेख का न्यासी अभिप्रेत है ;

ङ. खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ङक) "निर्गम" से किसी निगमित निकाय द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा इसकी या उनकी ओर से, यथास्थिति, जनता, अथवा, ऐसे निगमित निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की प्रतिभूतियों के धारकों को प्रतिभूतियों के विक्रय का प्रस्ताव अभिप्रेत है और जिसमें सूचीबद्ध कंपनी द्वारा किया गया डिबेंचरों का निजी स्थापन (प्राइवेट प्लेसमेंट) सम्मिलित है, जिन्हें सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है ;"

च. खण्ड (ज) का लोप हो जाएगा ;

छ. खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(झक) "न्यास विलेख" से निगमित निकाय द्वारा निष्पादित विलेख, डिबेंचर धारकों के फायदे के लिए उसमें नामित न्यासियों के पक्ष में, अभिप्रेत है ;"

ज. खण्ड (ञ) में, शब्दों "और नियमों", शब्द "यथास्थिति," और शब्दों "या नियमों" का लोप हो जाएगा ;

(ii) विनियम 3 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी ।"

(iii) विनियम 9 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए नवीकरण के लिए आवेदन से अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी ।"

(iv) विनियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"**रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**

9क. (1) विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण या विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया कोई नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :-

(क) जहाँ डिबेंचर न्यासी इसकी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, यह परिवर्तन के पश्चात् ऐसी हैसियत से कार्य करना जारी रखने के लिए बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ;

(ख) यह रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण, यथास्थिति, के लिए फीस इन विनियमों में उपबंधित रीति से अदा करेगा ;

(ग) यह विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत की प्राप्ति की तारीख के एक मास के भीतर पर्याप्त कदम उठायेगा और प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप तथा अन्य विशिष्टियों और रीति जिसमें ऐसी शिकायतों को दूर किया गया है के बारे में बोर्ड को सूचित रखेगा ;

(घ) यह उसके प्रमाणपत्र या नवीकरण की कालावधि के दौरान सभी समयों पर विनियम 7क में विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को बनाए रखेगा ;

(ङ) यह डिबेंचर न्यासी के रूप में इसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों की बाबत अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों का पालन करेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (क) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों में अधिनियम की धारा 12 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की बाध्यता को प्रभावित नहीं करेगी जहाँ यह लागू है ।

आवेदन के निपटारे के लिए समय कालावधि और प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि

9ख. (1) बोर्ड विनियम 8 के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए, या विनियम 9 के अधीन किए गए इसके नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए समस्त जानकारी की प्राप्ति के तीन मास के भीतर, उस पर विनिश्चय करेगा और आवेदक को सूचना भेजेगा ।

(2) विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया इसका नवीकरण, इसके जारी करने की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा ।"

(V) अनुसूची II में -

क. पैरा 1 में, शब्दों "पाँच लाख रुपये" के लिए, शब्द "दस लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

ख. पैरा 2 में, शब्दों तथा अंकों "रु.2.5 लाख" के लिए, शब्द "पाँच लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

ग. पैरा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3क. विनियम 3 के उप-विनियम (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या विनियम 9 के उप-विनियम (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संदेय अप्रतिदेय फीस पच्चीस हजार रुपये की राशि होगी ।"

घ. पैरा 4 में, शब्दों तथा अंकों "पैरा 1 और 2" के लिए शब्द तथा अंक "पैरा 1, 2 और 3क" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/0709/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, सं. सेबी/एलई/12/93, 29 दिसम्बर 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. यह तत्पश्चात् -

(क) 28 नवंबर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं. 939 (अ), द्वारा

(ख) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 16 (अ), द्वारा

(ग) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 795 (अ), द्वारा

(घ) 17 फरवरी, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 135 (अ), द्वारा

(ङ) 8 अगस्त 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 743(अ), द्वारा

(च) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ) द्वारा

(छ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा

(ज) 27 सितंबर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का. आ. सं. 1045(अ), द्वारा

(झ) 4 जुलाई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 763 (अ) द्वारा

(ञ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2006

Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1451(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993:-

(i) in regulation 2 –

a. clauses (a) and (aa) shall be renumbered as clause (aa) and (b) respectively thereof;

b. before clause (aa) so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);"

c. after clause (aa) so renumbered, the following clauses shall be inserted, namely:-

"(ab) "body corporate" shall have the meaning assigned to it in or under clause (7) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(ac) "certificate" means a certificate of registration granted or renewed by the Board under these regulations;

(ad) "change of status or constitution" in relation to a debenture trustee -

(i) means any change in its status or constitution of whatsoever nature; and

(ii) without prejudice to generality of sub-clause (i), includes –

(A) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the scope of section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the corresponding provision of any other law for the time being in force;

(B) change in its managing director or whole-time director; and

(C) any change in control over the body corporate;

(ae) "change in control", in relation to a debenture trustee, means:-

(i) if its shares are listed on any recognised stock exchange, change in control within the meaning of regulation 12 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997;

(ii) in any other case, change in the controlling interest in the body corporate;

Explanation: For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of at least fifty one percent. of voting rights in the body corporate;"

d. after clause (b) so renumbered, the following clauses shall be inserted, namely:-

"(ba) "debenture" means a debenture within the meaning of sub-section (12) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(bb) "debenture trustee" means a trustee of a trust deed for securing any issue of debentures of a body corporate;"

e. after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ea) "issue" means an offer of sale of securities by any body corporate or by any other person or group of persons on its or their behalf, as the case may be, to the public, or the holders of securities of such body corporate or person or group of persons and includes a private placement of debentures made by a listed company, which are proposed to be listed;"

f. clause (h) shall be omitted;

g. after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ia) "trust deed" means a deed executed by the body corporate in favour of the trustees named therein for the benefit of the debenture holders;"

h. in clause (j), the words "and the rules" occurring after the words "defined in the Act" and the words "or the rules, as the case may be" occurring at the end shall be omitted;

(ii) in regulation 3, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for registration made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II."

(iii) in regulation 9, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for renewal made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II."

(iv) after regulation 9, the following regulations shall be inserted, namely:-

"Conditions of registration

9A. (1) Any registration granted under regulation 8 or any renewal granted under regulation 9 shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) where debenture trustee proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Board for continuing to act as such after the change;

(b) it shall pay the fees for registration or renewal, as the case may be, in the manner provided in these regulations;

(c) it shall take adequate steps for redressal of grievances of the investors within one month of the date of the receipt of the complaint and keep the Board informed about the number, nature and other particulars of the complaints received and the manner in which such complaints have been redressed;

(d) it shall maintain capital adequacy requirements specified in

regulation 7A at all times during the period of the certificate or renewal thereof;

(e) it shall abide by the regulations made under the Act in respect of the activities carried on by it as a debenture trustee.

(2) Nothing contained in clause (a) of sub-regulation (1) shall affect the obligation to obtain a fresh registration under section 12 of the Act in cases where it is applicable.

Time period for disposal of application and period of validity of certificate

9B. (1) The Board shall within three months of receipt of all information for considering the application for grant of registration made under regulation 8, or for its renewal made under regulation 9, take a decision thereon and send intimation to the applicant.

(2) The certificate of registration granted under regulation 8 and its renewal granted under regulation 9, shall be valid for a period of three years from the date of its issue."

(v) in Schedule II –

a. in paragraph 1, for the words "Rupees five lacs", the words "ten lakh rupees" shall be substituted;

b. in paragraph 2, for the words and figures "Rs. 2.5 lacs", the words "five lakh rupees" shall be substituted;

c. after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"3A. The non-refundable fee payable along with an application for registration under sub-regulation (1A) of regulation 3 or an application for renewal of registration under sub-regulation (1A) of regulation 9 shall be a sum of twenty five thousand rupees."

d. in paragraph 4, for the words and figures "paragraphs 1 and 2" the words and figures "paragraphs 1, 2 and 3A" shall be substituted.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/0709/2006]

M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes :

1. Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993, were published in the Gazette of India on December 29, 1993, vide No.SEBI/LE/12/93.

2. It was subsequently amended –

(a) on November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No.939 (E).

(b) on January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.16(E).

(c) on September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.795(E).

(d) on February 17, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.135(E).

(e) on August 8, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S,O. No.743(E).

(f) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278(E).

(g) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).

(h) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045(E).

(i) on July 4, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O.No. 763(E).

(j) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

****

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1452(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में :-

(i) विनियम 2 में -

क. खण्ड (क) को उसके खण्ड (कक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;

ख. इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (कक) में, शब्दों "नियम 2 के खंड (ङ) और (छ) के अधीन" के लिए, शब्द "विनियम 2 के खण्ड (च) और (छ) के अधीन" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

ग. खण्ड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ख) "निगम निकाय" (निगमित निकाय) का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (7) में या के अधीन इसके लिए यथा नियत होगा ;

(खक) "प्रमाणपत्र" से इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया या नवीकृत किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(खख) "प्रास्थिति या गठन का परिवर्तन", निर्गम रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता के संबंध में, से इसकी प्रास्थिति या गठन में कोई परिवर्तन, चाहे किसी भी स्वरूप का हो, अभिप्रेत है और जिसमें सम्मिलित है -

(i) निगमित निकाय के मामले में -

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 के विस्तार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंध के भीतर आने वाला समामेलन, अविलयन (डीमर्जर), समेकन या कंपनी पुनर्संरचना का कोई अन्य प्रकार ;

(ख) इसके प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक में परिवर्तन ; और

(ग) निगमित निकाय पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन ;

(ii) निम्नलिखित विधिक स्वरूपों के बीच कोई परिवर्तन - व्यक्तिगत, भागीदारी फर्म, हिंदू अविभक्त कुटुंब, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अपरिसीमित कंपनी या कानूनी निगम और अन्य ऐसे ही परिवर्तन ;

(iii) भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारों में कोई परिवर्तन, जो फर्म के विघटन की कोटि में नहीं आता ;

(खग) "नियंत्रण में परिवर्तन", निर्गम रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता के संबंध में निगमित निकाय होते हुए, से अभिप्रेत है :-

(i) यदि इसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 12 के अर्थ के भीतर नियंत्रण में परिवर्तन ;

(ii) किसी अन्य मामले में, निगमित निकाय में नियंत्रक हित में परिवर्तन ;

स्पष्टीकरण : उप-खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए, पद "नियंत्रक हित" से हित अभिप्रेत है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निगमित निकाय में मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत के विस्तार तक ; "

घ. खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(घक) "निर्गम" से किसी निगमित निकाय द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उसकी या इसकी या उनकी ओर से, यथास्थिति, जनता, अथवा, ऐसे निगमित निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की प्रतिभूतियों के धारकों को या से प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय का प्रस्ताव अभिप्रेत है ;

ङ. खण्ड (च) और (छ) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(च) "निर्गम रजिस्ट्रार" से निगमित निकाय या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा इसके या उसके या उनकी ओर से निम्नलिखित क्रियाकलापों को करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है :

(i) निर्गम की बाबत विनिधानकर्ताओं से आवेदन एकत्र करना ;

(ii) आवेदनों और धनराशियों के समुचित अभिलेख रखना, विनिधानकर्ताओं से प्राप्त या प्रतिभूतियों के विक्रेता को संदत्त ; और

(iii) निगमित निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को :

(क) स्टॉक एक्सचेंज के परामर्श से प्रतिभूतियों के आबंटन के आधार का अवधारण करने ;

(ख) आबंटन के लिए हकदार व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देने ;

(ग) आबंटन पत्रों, प्रतिदाय आदेशों या प्रमाणपत्रों और निर्गम की बाबत अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रिया और को प्रेषित करने ;

में सहायता देना ;

(छ) "शेयर अंतरण अभिकर्ता" से अभिप्रेत है -

(i) कोई व्यक्ति, जो किसी निगमित निकाय की ओर से, ऐसे निगमित निकाय द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों के धारकों के अभिलेखों को बनाए रखता है और इसकी प्रतिभूतियों के अंतरण तथा मोचन से संबंधित समस्त मामलों पर कार्यवाही करता है ;

(ii) उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों को करने वाले निगमित निकाय का विभाग या प्रभाग, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, यदि किसी समय इसकी निर्गमित प्रतिभूतियों के धारकों की कुल संख्या एक लाख से अधिक हो ;"

च. खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(छक) "स्टॉक एक्सचेंज" से वह स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जो तत्समय केंद्रीय सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के अधीन ;"

छ. खण्ड (ज) में, शब्दों "और नियमों", शब्द ", यथास्थिति," और शब्दों "या नियमों" का लोप हो जाएगा ।

(ii) विनियम 3 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी ।"

(iii) विनियम 9 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए नवीकरण के लिए आवेदन से अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी ।"

(iv) विनियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

9क. (1) विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण या विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया कोई नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :-

(क) जहाँ निर्गम रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता इसकी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, यह परिवर्तन के पश्चात् ऐसी हैसियत से कार्य करना जारी रखने के लिए बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ;

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इसकी बाध्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निगमित निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ वैध रूप से आबद्धकर करार करेगा जिसके लिए या जिसकी ओर से यह निर्गम रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है उसमें इसके स्वयं और ऐसे निगमित निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, यथास्थिति, के बीच कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों के आबंटन का विवरण देते हुए ;

(ग) यह रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण, यथास्थिति, के लिए फीस इन विनियमों में उपबंधित रीति से अदा करेगा ;

(घ) यह उसके प्रमाणपत्र या नवीकरण की कालावधि के दौरान सभी समयों पर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को बनाए रखेगा ;

(ङ) यह विनिधानकर्त्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत की प्राप्ति की तारीख के एक मास के भीतर पर्याप्त कदम उठायेगा और प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप तथा अन्य विशिष्टियों और रीति जिसमें ऐसी शिकायतों को दूर किया गया है के बारे में बोर्ड को सूचित रखेगा ;

(च) यह निर्गम रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता के रूप में इसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों की बाबत अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों का पालन करेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (क) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों में अधिनियम की धारा 12 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की बाध्यता को प्रभावित नहीं करेगी जहाँ यह लागू है ।

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि

9ख. विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया इसका नवीकरण, इसके जारी करने की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा ।"

(V) अनुसूची II में -

क. पैरा 1 में -

(i) उप-पैरा (क) में, शब्दों तथा अंकों "रु.50,000/-" के लिए, शब्द "तीन लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे और शब्दों तथा अंकों "रु.40,000/-" के लिए, शब्द "एक लाख और पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप-पैरा (ख) में, शब्दों तथा अंकों "रु.30,000/-" के लिए, शब्द "एक लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे और शब्दों तथा अंकों "रु.25,000/-" के लिए, शब्द "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

ख. पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2क. विनियम 3 के उप-विनियम (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या विनियम 9 के उप-विनियम (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संदेय अप्रतिदेय फीस दस हजार रुपये की राशि होगी ।"

ग. पैरा 3 में, शब्द तथा अंक "पैरा 1" के लिए शब्द तथा अंक "पैरा 1 और 2क" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/0709/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, फा.सं.सेबी/एलई/5/93, 31 मई, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 तत्पश्चात् :

(क) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा

(ख) 17 सितम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 660(अ), द्वारा

(ग) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 14(अ), द्वारा

(घ) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 796(अ), द्वारा

(ङ) 17 नवंबर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 1120(अ), द्वारा

(च) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा

(छ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा

(ज) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

(झ) 1 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1157(अ), द्वारा

(ञ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2006

Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1452(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993:-
   (i) in regulation 2 –
      a. clause (a) shall be renumbered as clause (aa) thereof, and before the clause so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

      "(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);"

b. in clause (aa) so renumbered, for the words "under clauses (e) and (g) of rule 2" occurring at the end, the words "under clauses (f) and (g) of regulation 2" shall be substituted;

c. after clause (aa) the following clauses shall be inserted, namely:-

"(b) "body corporate" shall have the meaning assigned to it in or under clause (7) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(ba) "certificate" means a certificate of registration granted or renewed by the Board under these regulations;

(bb) "change of status or constitution" in relation to a registrar to an issue or a share transfer agent means any change in its status or constitution of whatsoever nature and includes –

(i) in case of a body corporate –

(A) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the scope of section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the corresponding provision of any other law for the time being in force;

(B) change in its managing director or whole-time director; and

(C) any change in control over the body corporate;

(ii) any change between the following legal forms – individual, partnership firm, Hindu undivided family, private company, public company, unlimited company or statutory corporation and other similar changes;

(iii) in case of a partnership firm any change in partners not amounting to dissolution of the firm;

(bc) "change in control", in relation to a registrar to an issue or a share transfer agent being a body corporate, means:-

(i) if its shares are listed on any recognised stock exchange, change in control within the meaning of regulation 12 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997;

(ii) in any other case, change in the controlling interest in the body corporate;

Explanation: For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of at least fifty one percent. of voting rights in the body corporate;"

d. after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(da) "issue" means an offer of sale or purchase of securities by any body corporate or by any other person or group of persons on his or its or their behalf, as the case may be, to or from the public, or the holders of securities of such body corporate or person or group of persons;"

e. for clauses (f) and (g), the following shall be substituted, namely:-

"(f) "registrar to an issue" means the person appointed by a body corporate or any person or group of persons to carry on the following activities on its or his or their behalf:

(i) collecting applications from investors in respect of an issue;

(ii) keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the seller of the securities; and

(iii) assisting body corporate or person or group of persons in:

(a) determining the basis of allotment of securities in consultation with stock exchange;

(b) finalising list of persons entitled to allotment;

(c) processing and dispatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of an issue;

(g) "share transfer agent" means –

(i) any person, who on behalf of any body corporate, maintains the records of holders of securities issued by

such body corporate and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities;

(ii) a department or division, by whatever name called, of a body corporate performing the activities referred in sub-clause (i) if at any time the total number of the holders of its securities issued exceed one lakh;"

f. after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ga) "stock exchange" means a stock exchange which is for the time being recognised by the Central Government or by the Board under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act; 1956 (42 of 1956);"

g. in clause (h), the words "and the rules" occurring after the words "defined in the Act" and the words "or the rules, as the case may be" occurring at the end shall be omitted.

(ii) in regulation 3, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for registration made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II."

(iii) in regulation 9, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for renewal made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II."

(iv) after regulation 9, the following regulations shall be inserted, namely:-

"Conditions of registration

9A. (1) Any registration granted under regulation 8 or any renewal granted under regulation 9 shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) where a registrar to an issue or a share transfer agent proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Board for continuing to act as such after the change;

(b) without prejudice to its obligations under any other law for the time being in force, it shall enter into a legally binding agreement with the body corporate or the person or group of persons for or on whose behalf it is acting as a registrar to an issue or a share transfer agent stating therein the allocation of duties and responsibilities between itself and such body corporate or person or group of persons, as the case may be;

(c) it shall pay the fees for registration or renewal, as the case may be, in the manner provided in these regulations;

(d) it shall maintain capital adequacy requirements specified in regulation 7 at all times during the period of the certificate or renewal thereof;

(e) it shall take adequate steps for redressal of grievances of the investors within one month of the date of the receipt of the complaint and keep the Board informed about the number, nature and other particulars of the complaints received and the manner in which such complaints have been redressed;

(f) it shall abide by the regulations made under the Act in respect of the activities carried on by it as a registrar to an issue or a share transfer agent.

(2) Nothing contained in clause (a) of sub-regulation (1) shall affect the obligation to obtain a fresh registration under section 12 of the Act in cases where it is applicable.

Period of validity of certificate

9B. The certificate of registration granted under regulation 8 and its renewal granted under regulation 9, shall be valid for a period of three years from the date of its issue."

(v) in Schedule II –

a. in paragraph 1 –

(i) in sub-paragraph (a), for the words and figures "Rs.50,000/-", the words "three lakh rupees" shall be substituted and for the words and figures "Rs.40,000/-", the words "one lakh and fifty thousand rupees" shall be substituted;

(ii) in sub-paragraph (b), for the words and figures "Rs.30,000/-", the words "one lakh rupees" shall be substituted and for the words and figures "Rs.25,000/-", the words "fifty thousand rupees" shall be substituted;

b. after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"2A. The non-refundable fee payable along with an application for registration under sub-regulation (1A) of regulation 3 or an application for renewal of registration under sub-regulation (1A) of regulation 9 shall be a sum of ten thousand rupees."

c. in paragraph 3, for the word and figure "paragraph 1" the words and figures "paragraphs 1 and 2A" shall be substituted.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/0709/2006]
M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes :

1. The principal regulations Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 were published in Official Gazette of India on May 31, 1993 vide F.No.SEBI/LE/5/93.

2. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 was subsequently amended :

(a) on November 28, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E);

(b) on September 17, 1997 by Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 660 (E).

(c) on January 5, 1998 by Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 14 (E).

(d) on September 30, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 796 (E).

(e) on November 17, 1999 by Securities and Exchange Board of

India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 1120 (E).

(f) on March 28, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E).

(g) on May 29, 2001 by Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E).

(h) on September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E).

(i) on October 1, 2003 by Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 1157 (E).

(j) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

****

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1453(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में :-

(i) विनियम 2 में -

क. आरंभिक भाग के पश्चात् और खण्ड (ख) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;

(कक) "निर्गमन बैंककार" से निम्नलिखित क्रियाकलापों में से सभी या कोई करने वाला अनुसूचित बैंक अभिप्रेत है, अर्थात् :-

(i) आवेदन और आवेदन धनराशियों की स्वीकृति ;
(ii) आबंटन या मांग राशियों की स्वीकृति ;
(iii) आवेदन धनराशियों का प्रतिदाय ;
(iv) लाभांश या ब्याज अधिपत्रों (वारंटों) का भुगतान ;

(कख) "निगम निकाय" (निगमित निकाय) का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (7) में या के अधीन इसके लिए यथा नियत होगा ;

(कग) "प्रमाणपत्र" से बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(कघ) "प्रास्थिति या गठन का परिवर्तन", निर्गमन बैंककार के संबंध में -

(i) से इसकी प्रास्थिति या गठन में कोई परिवर्तन, चाहे किसी भी स्वरूप का हो, अभिप्रेत है ; और

(ii) उप-खण्ड (i) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें सम्मिलित है -

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 के विस्तार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंध के भीतर आने वाला समामेलन, अविलयन (डीमर्जर), समेकन या कंपनी पुनर्संरचना का कोई अन्य प्रकार ;
(ख) इसके प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक में परिवर्तन ; और

(ग) निगमित निकाय पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन ;

(कङ) "नियंत्रण में परिवर्तन", निर्गमन बैंककार के संबंध में निगमित निकाय होते हुए, से अभिप्रेत है :-

(i) यदि इसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 12 के अर्थ के भीतर नियंत्रण में परिवर्तन ;

(ii) किसी अन्य मामले में, निगमित निकाय में नियंत्रक हित में परिवर्तन ;

स्पष्टीकरण : उप-खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए, पद "नियंत्रक हित" से हित अभिप्रेत है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, निगमित निकाय में मताधिकारों के कम से कम इक्यावन प्रतिशत के विस्तार तक ; "

ख. खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(गक) "निर्गम" से किसी निगमित निकाय द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उसकी या इसकी या उनकी ओर से, यथास्थिति, जनता, अथवा, ऐसे निगमित निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की प्रतिभूतियों के धारकों को या से प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय का प्रस्ताव अभिप्रेत है ; "

ग. खण्ड (ङ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ङ) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक अभिप्रेत है ;

घ. खण्ड (च) में, शब्दों "और नियमों", शब्द "यथास्थिति," और शब्दों "या नियमों" का लोप हो जाएगा ।

(ii) विनियम 3 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी ।"

(iii) विनियम 8 में, उप-विनियम (1) में पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए नवीकरण के लिए आवेदन से अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी।"

(iv) विनियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

8क. (1) विनियम 7 के अधीन प्रदान किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण या विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया कोई नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :-

(क) जहाँ निर्गमन बैंककार इसकी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, यह परिवर्तन के पश्चात् ऐसी हैसियत से कार्य करना जारी रखने के लिए बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ;

(ख) यह निगमित निकाय के साथ वैध रूप से आबद्धकर करार करेगा जिसके लिए या जिसकी ओर से यह निर्गमन बैंककार के रूप में कार्य कर रहा है उसमें उस निर्गम के लिए इसके स्वयं और निगमित निकाय के बीच कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों के आबंटन का विवरण देते हुए जिसके लिए यह निर्गमन बैंककार के रूप में कार्य कर रहा है ;

(ग) यह रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण, यथास्थिति, के लिए फीस इन विनियमों में उपबंधित रीति से अदा करेगा ;

(घ) यह विनिधानकर्त्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत की प्राप्ति की तारीख के एक मास के भीतर पर्याप्त कदम उठायेगा और प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप तथा अन्य विशिष्टियों और रीति जिसमें ऐसी शिकायतों को दूर किया गया है के बारे में बोर्ड को सूचित रखेगा ;

(ङ) यह निर्गमन बैंककार के रूप में इसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों की बाबत अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों का पालन करेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (क) में अंतर्विष्ट कोई भी बात उन मामलों में अधिनियम की धारा 12 के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की बाध्यता को प्रभावित नहीं करेगी जहाँ यह लागू है ।

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि

8ख. विनियम 7 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और विनियम 8 के अधीन प्रदान किया गया इसका नवीकरण, इसके जारी करने की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा ।"

(V) अनुसूची II में -

क. पैरा 1 में, शब्दों "पाँच लाख रुपये" के लिए, शब्द "दस लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

ख. पैरा 2 में, शब्दों तथा अंकों "रु.2.5 लाख" के लिए, शब्द "पाँच लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

ग. पैरा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3क. विनियम 3 के उप-विनियम (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या विनियम 8 के उप-विनियम (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संदेय अप्रतिदेय फीस पच्चीस हजार रुपये की राशि होगी ।"

घ. पैरा 4 में, शब्दों तथा अंकों "पैरा 1 और 2" के लिए शब्द तथा अंक "पैरा 1, 2 और 3क" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/0709/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994, सं. सेबी/एलई/7/94, 14 जुलाई 1994 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 तत्पश्चात् :

(क) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा

(ख) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 15 (अ), द्वारा

(ग) 30 सितंबर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 800 (अ), द्वारा

(घ) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा

(ङ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा

(च) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

(छ) 1 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1159 (अ), द्वारा

(ज) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2006

Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1453(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994:-

(i) in regulation 2 –

a. after the opening part and before clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(aa) "banker to an issue" means a scheduled bank carrying on all or any of the following activities, namely:-

(i) acceptance of application and application monies;

(ii) acceptance of allotment or call monies;

(iii) refund of application monies;

(iv) payment of dividend or interest warrants;

(ab) "body corporate" shall have the meaning assigned to it in or under clause (7) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(ac) "certificate" means a certificate of registration issued by the Board;

(ad) "change of status or constitution" in relation to a banker to an issue -

(i) means any change in its status or constitution of whatsoever nature; and

(ii) without prejudice to generality of sub-clause (i), includes –

(A) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the scope of section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the corresponding provision of any other law for the time being in force;

(B) change in its managing director or whole-time director; and

(C) any change in control over the body corporate;

(ae) "change in control", in relation to a banker to an issue being a body corporate, means:-

(i) if its shares are listed on any recognised stock exchange, change in control within the meaning of regulation 12 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997;

(ii) in any other case, change in the controlling interest in the body corporate;

Explanation: For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of at least fifty one percent. of voting rights in the body corporate;"

b. after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ca) "issue" means an offer of sale or purchase of securities by any body corporate or by any other person or group of persons on his or its or their behalf, as the case may be, to or from the public, or the holders of securities of such body corporate or person or group of persons;"

c. clause (e) shall be substituted with the following, namely:-

"(e) "scheduled bank" means a bank included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

d. in clause (f), the words "and the rules" occurring after the words "defined in the Act" and the words "or the rules, as the case may be" occurring at the end shall be omitted.

(ii) in regulation 3, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for registration made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II."

(iii) in regulation 8, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for renewal made under sub-regulation (1) shall be

accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II."

(iv) after regulation 8, the following regulations shall be inserted, namely:-

"Conditions of registration

8A. (1) Any registration granted under regulation 7 or any renewal granted under regulation 8 shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) where the banker to an issue proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Board for continuing to act as such after the change;

(b) it shall enter into a legally binding agreement with the body corporate for or on whose behalf it is acting as banker to an issue stating therein the allocation of duties and responsibilities between itself and the body corporate for the issue for which it is acting as a banker to an issue;

(c) it shall pay the fees for registration or renewal, as the case may be, in the manner provided in these regulations;

(d) it shall take adequate steps for redressal of grievances of the investors within one month of the date of the receipt of the complaint and keep the Board informed about the number, nature and other particulars of the complaints received and the manner in which such complaints have been redressed;

(e) it shall abide by the regulations made under the Act in respect of the activities carried on by it as banker to an issue.

(2) Nothing contained in clause (a) of sub-regulation (1) shall affect the obligation to obtain a fresh registration under section 12 of the Act in cases where it is applicable.

Period of validity of certificate

8B. The certificate of registration granted under regulation 7 and its renewal granted under regulation 8, shall be valid for a period of three years from the date of its issue."

(v) in Schedule II –

a. in paragraph 1, for the words "Rupees five lacs", the words "ten lakh rupees" shall be substituted;

b. in paragraph 2, for the words and figures "Rs. 2.5 lacs", the words "five lakh rupees" shall be substituted;

c. after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"3A. The non-refundable fee payable along with an application for registration under sub-regulation (1A) of regulation 3 or an application for renewal of registration under sub-regulation (1A) of regulation 8 shall be a sum of twenty five thousand rupees."

d. in paragraph 4, for the words and figures "paragraphs 1 and 2" the words and figures "paragraphs 1, 2 and 3A" shall be substituted.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/0709/2006]
M. DAMODARAN, Chairman

Footnotes :

1. The principal regulations Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994 were published in Official Gazette of India on July 14, 1994 vide F.No.SEBI/LE/7/94.

2. The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1992 was subsequently amended :

   (a) on November 28, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E);

   (b) on January 5, 1998 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 15 (E).

   (c) on September 30, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 800 (E).

   (d) on March 28, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E).

   (e) on May 29, 2001 by Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E).

   (f) on September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and

Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E).

(g) on October 1, 2003 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 1159 (E).

(h) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1454(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में :-

(i) विनियम 10 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1क) उप-विनियम (1) के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी ।"

(ii) दूसरी अनुसूची में, भाग क के लिए, निम्नलिखित भाग प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

" भाग क

फीस के रूप में अदा की जाने वाली रकम (रु.)

आवेदन फीस	50,000/-
प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस	5,00,000/-
नवीकरण फीस	10,00,000/-"

[फा. सं. भाप्रविबो/विकाचि/नीप्र/0709/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण

1. मूल विनियम, भाप्रविबो (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 7 जुलाई 1999 की का.आ. सं.547(अ) के अधीन जारी हुए थे ।

2. भाप्रविबो (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 तत्पश्चात् -

(क) 28 मार्च 2000 को का.आ. सं.278(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भाप्रविबो (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 द्वारा

(ख) 29 मई, 2001 को, भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं.476(अ), द्वारा

(ग) 27 सितंबर 2002 को भाप्रविबो (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.1045(अ), द्वारा

(घ) 19 फरवरी 2003 को भाप्रविबो (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं.203 (अ), द्वारा

(ङ) 1 अक्तूबर 2003 को भाप्रविबो (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं.1160 (अ), द्वारा

(च) 10 मार्च 2004 को भाप्रविबो (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा

संशोधित हुए थे ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2006

Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1454(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, namely: -

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulation, 1999: -

(i) in regulation 10, after sub regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) An application for renewal of certificate of registration made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non refundable application fee as specified in the Second Schedule."

(ii) in the Second Schedule, for Part A, the following Part shall be substituted, namely:-

"PART A

AMOUNT TO BE PAID AS FEES	(Rs.)
Application fee	50,000/-
Registration fee for grant of certificate	5,00,000/-
Renewal fees	10,00,000/-"

[F. No. SEBI/LAD/DOP/0709/2006]

M. DAMODARAN, Chairman

Footnote

1. The principal regulations, SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were issued under S.O. No. 547 (E) dated July 7, 1999 published in the Gazette of India.
2. SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were subsequently amended on-
   (a) March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 published in Official Gazette vide no. S.O. No. 278(E).
   (b) May 29, 2001, by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) (Regulations), 2001 vide S.O. No. 476 (E).
   (c) September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. No. 1045 (E).
   (d) February 19, 2003 by SEBI (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 203 (E).
   (e) October 1, 2003 by by SEBI (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1160 (E).
   (f) March 10, 2004 by SEBI (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S. O. No. 398 (E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.